फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा

वादी/प्रार्थी	बनाम	प्रतिवादी/अप्रार्थी
हरीसिंह पुत्र दरगासिंहजी उम्र 70 वर्ष जाति राव नि० मणधर तह० जसवंतपुरा		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / ......प्रार्थना-पत्र...... नंबर - ......6../2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.19	......प्रार्थी......की ओर से अधिवक्ता श्री उमराव सिंह चारण ......द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत दुरस्त करने राजस्व रैकर्ड धारा 136 रा०भू०रा०अधि० विरूद्ध ~~प्रतिवादीगण~~ / अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~प्रतिवादीगण~~/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस......तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 27/11/2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)	
27.11.19	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी को नोटिस तामील प्राप्त। उक्त अप्रार्थी जवाब पेश नहीं करना चाहते अतः जवाब बंद किया जाकर मिसल वास्ते निर्णय तारीख 5-12-19 को पेश हो।	
5.12.19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि सरहद मौजा मणधर पटवार क्षेत्र पावली तह0 जसवंतपुरा के खसरा सं0 105, 189, 190, 191, 192, 193, 284, 285, 25, 26, 27, 28, 29, 528, 529, 539, 541, 542, 543, 597, 598, 599, 600, 605, 566, 593, 594, 594/684, 526/693, 565, 1, 527, 540, में प्रार्थी का नाम हंसा पुत्र दरगा सा0 देह खातेदार एवं शेष दीगर खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज	

Scanned by CamScanner

है। राजस्व कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में हंसा पुत्र दरगा गलत रूप से दर्ज किया गया है। प्रार्थी का वास्तविक नाम 'हरिसिंह पुत्र दरगसिंह' है। अतः उक्त वादग्रंस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में से 'हंसा पुत्र दरगा' का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर ' हरिसिंह पुत्र दरगसिंह' नाम दर्ज किये जाने हेतू तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेशित किया जावें।

हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात् के अध्ययन के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में से 'हंसा पुत्र दरगा' का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर ' हरिसिंह पुत्र दरंगसिंह' नाम दर्ज किये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा मणधर पटवार क्षेत्र पावली तह0 जसवंतपुरा के खसरा सं0 105, 189, 190, 191, 192, 193, 284, 285, 25, 26, 27, 28, 29, 528, 529, 539, 541, 542, 543, 597, 598, 599, 600, 605, 566, 593, 594, 594/684, 526/693, 565, 1, 527, 540 के राजस्व रेकर्ड में से 'हंसा पुत्र दरगा' का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर ' हरिसिंह पुत्र दरगसिंह' नाम दर्ज किये जाने हेतू तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेशित किया जाता है। तहसीदार जसवंतपुरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करे।

मिसल फैसल होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो

Scanned by CamScanner